(3)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 183 / 2021

गीगराज पुत्र रामदेव सैनी, निवासी वार्ड नं0 20, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 29.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस न्यायालय में दिनांक 06.09.2021 को प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 183 / 2021 पर दिनांक 06.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2957–58 दिनांक 06.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक पीए / सू0अ0अ0(21) / 2021 / 530 दिनांक 14.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता गीगराज पुत्र रामदेव सैनी, निवासी वार्ड नं0 20, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 23.07.2021 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना कार्यालय तहसीलदार खेतडी से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक पीए / सू0अ0अ0(21) / 2021 / 420–422 दिनांक 23.07.2021 द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत तहसीलदार खेतडी को अन्तरित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक पीए / सू0अ0अ0 (21) / 2021 / 530 दिनांक 14.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता गीगराज पुत्र रामदेव सैनी, निवासी वार्ड नं0 20, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 23.07.2021 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना कार्यालय तहसीलदार खेतडी से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक पीए / सू0अ0अ0(21) / 2021 / 420–422 दिनांक 23.07.2021 द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत तहसीलदार खेतडी को अन्तरित कर दिया गया था। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, खेतडी को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं